

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

## ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री जी.एस. रावल, निदेशक (अभियान्त्रिकी) जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
5. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
6. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. सदस्य
7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- श्री प्रदीप सांखला  
प्रकरण संख्या :- 16/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22 मई, 2012 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3403.19 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

24

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

## ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री जी.एस. रावल, निदेशक (अभियान्त्रिकी) जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
5. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
6. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. सदस्य
7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- श्री प्रदीप सांखला  
प्रकरण संख्या :- 16/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22 मई, 2012 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3403.19 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

24

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

## ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री जी.एस. रावल, निदेशक (अभियान्त्रिकी) जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
5. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
6. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. सदस्य
7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- श्री प्रदीप सांखला  
प्रकरण संख्या :- 16/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22 मई, 2012 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3403.19 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

24

# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

## ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 का कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 12.10.2012 को प्रातः 11.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री जी.एस. रावल, निदेशक (अभियान्त्रिकी) जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
5. श्री भागीरथ बिश्नोई, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
6. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. सदस्य
7. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि का वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- श्री प्रदीप सांखला  
प्रकरण संख्या :- 16/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3776.92 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 22 मई, 2012 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम सूथला के खसरा नम्बर 109/6/1 की रकबा 3403.19 वर्गमीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त भूखण्ड पर होटल प्रयोजनार्थ भवन निर्माणाधीन है। प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा विचार-विमर्श के दौरान पाया गया कि वर्तमान में प्रार्थी की भूमि की भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-ए के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है व प्रार्थी ने निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सक्षम समिति से निर्माण स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड पर किया गया निर्माण कार्य अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि प्रार्थी को इस सम्बन्ध में नियमानुसार नोटिस दिया जावे। भूखण्ड पर चल रहा अवैध निर्माण तुरन्त रूकवाया जावे तथा किये गये भवन निर्माण की विस्तृत मौका रिपोर्ट मंगवायी जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को अवगत करवाया जावे।

2. राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 306 मीन की रकबा 1225 वर्गमीटर भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती नीता आहुजा

प्रकरण संख्या :- 01/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम डोली के खसरा नम्बर 306 मीन की रकबा 1225 वर्गमीटर भूमि परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा पेट्रोल-पम्प हेतु ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (35)नवि/3/2010 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 23.08.2012 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में पेट्रोल-पम्प इण्डियन रोड कांग्रेस/एम.ओ.आर.टी.एच./भवन विनियमों के मानदण्डों की अनुपालना किये जाने की शर्त पर अनुज्ञेय उपयोग माना गया है। आवेदित भूमि झंवर से बाडमेर सड़क की ओर जाने वाले रास्ते पर उत्तर दिशा में स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि के ले-आऊट प्लान का अवलोकन कर झंवर से बाडमेर सड़क की ओर जाने वाले रास्ते का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 50' भूमि प्राधिकरण के हक

में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी को इण्डियन रोड कांग्रेस/एम.ओ.आर.टी.एच./भवन विनियमों के मानदण्डों की अनुपालना करनी होगी। उक्त भूखण्ड पर निर्माण कार्य करने से पूर्व राजस्थान भवन विनियम, 2010 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर पर निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को अवगत करवाया जावे।

3. राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 की भूमि पर विकसित वृन्दावन विहार आवासीय योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन।

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 की भूमि पर "वृन्दावन-विहार" नामक आवासीय योजना बनाई जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन की कार्यवाही तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा की गई है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि का क्षेत्रफल 40 बीघा 6 बिस्वा अंकित है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पूर्व में डोली में अंकित रही थी, परन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय एवं राजस्व विभाग के आदेशों के उक्त भूमि को खातेदारी भूमि माना जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिसमें उक्त आराजियात की भूमि का कुल क्षेत्रफल 40 बीघा 6 बिस्वा अंकित हैं एवं उतनी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त आराजियात की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदित किया जाकर तत्कालीन नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आराजियात की भूमि का क्षेत्रफल 40 बीघा 6 बिस्वा मानते हुए ही भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की गई है। उक्त योजना में खसरा नम्बर 698/1, 699, 705, 707, 712 व 741 की सरकारी भूमि समीपीय भूमि होने के आधार पर सम्मिलित हैं, जिसका रकबा लगभग 6 बीघा हैं।

उक्त योजना में स्थित कुल 267 भूखण्डों में से 192 भूखण्डों के पट्टा विलेख तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा सम्पादित किये जा चुके हैं। उक्त योजना में 57 भूखण्ड राजकीय भूमि में स्थित हैं, जिनमें से 33 भूखण्डों के पट्टा विलेख तत्कालीन न्यास/प्राधिकरण द्वारा जारी किये जा चुके हैं एवं 24 भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी किये जाने शेष हैं। इस प्रकार उक्त योजना में 75 भूखण्डों के पट्टा विलेख जारी किये जाने शेष हैं।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक उपायुक्त पश्चिम/2011/1044, दिनांक 5 जनवरी, 2011 द्वारा राज्य सरकार से दिशा-निर्देश चाहे जाने पर उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांक प.3(1157)नवि/3/2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं :-

"वृन्दावन विहार योजना में सम्मिलित राजकीय भूमि/रास्ता, पगडंडी/गैर मुमकिन बाला की भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार बिन्दु संख्या 13 के खण्ड-अ के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए योजना में स्थित राजकीय भूमि की कीमत राशि आरक्षित दर या डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर ऐसी राजकीय भूमि का नियमन किया जावे। चूंकि गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्व अभिलेख व मौके पर अब अस्तित्व में नहीं हैं तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी है। इस कारण इस क्षेत्र में पानी के बहाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्यत्र पक्के नाले का निर्माण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसके अतिरिक्त अन्य खातेदार की भूमि का


आवंटन नही किया जावे तथा योजना में सम्मिलित वन विभाग की आशिक भूमि के सम्बन्ध में वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जाकर वन विभाग को अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे। इस योजना के सम्बन्ध में न्यायालय में लम्बित प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के निर्णयाधीन कार्यवाही की जावे तथा इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से नवीनतम स्थिति प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे। यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में सह खातेदारों के मध्य कोई विवाद हो, तो उक्त विवाद के निस्तारण उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।”

सम्बन्धित अमीन द्वारा पुनः सीमांकन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा पृथक-पृथक रूप में खातेदारी भूमि, राजकीय भूमि, वन विभाग की भूमि व अन्य खातेदारी भूमि का अंकन किया गया है। अमीन द्वारा किये गये सीमांकन के अनुसार उक्त योजना में 9732.13 वर्गमीटर राजकीय भूमि, 2127.44 वर्गमीटर अन्य खातेदार की भूमि एवं 669.00 वर्गमीटर वन विभाग की भूमि स्थित है।

उक्त योजना में स्थित गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्व अभिलेख व मौके पर अस्तित्व में नहीं हैं तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी हैं। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि की पश्चिम दिशा में भूमि से चिपते हुए नाले का निर्माण किया गया है। उक्त नाले के सम्बन्ध में जोन के पटवारी, अमीन व कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार भी उक्त भूमि में मौके पर नाला अस्तित्व में नहीं है एवं अन्यत्र पक्के नाले का निर्माण कर दिया गया है।

उक्त योजना में प्रार्थी मैसर्स श्री विनियोग इन्फ्रा कारपोरेशन द्वारा राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 की भूमि पर विकसित वृन्दावन विहार आवासीय योजना के पूर्व में स्वीकृत ले-आऊट प्लान के भूखण्ड संख्या 71 से 89, 115 से 145, 170 से 186, 217 से 220, उक्त भूखण्डों के सामने की सड़के व आवेदक की अन्य भूमि क्षेत्रफल 23547.63 वर्गमीटर के पुर्नगठन हेतु निवेदन करने पर प्रकरण राज्य सरकार की अधिकारिता का होने पर समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को पूर्वानुमति हेतु प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के कार्यालय पत्रांक प.3(62)नविवि/3/2012, दिनांक 14.05.2012 द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मैसर्स श्री विनियोग इन्फ्रा कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव नवीन योजना मानचित्र में समायोजित कर दिये गये हैं।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 30 जुलाई, 2012 के प्रस्ताव संख्या 11 में राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 की भूमि पर “वृन्दावन-विहार” नामक आवासीय योजना व राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 746 की भूमि पर “गोपीकृष्ण विहार” नामक आवासीय योजना की भूमियों के सम्बन्ध में तथ्यों तथा कानूनी स्थिति की गहनता से जाँच करने हेतु एवं समुचित निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा उक्त आवासीय योजनाओं में अवस्थित वन विभाग व खसरा नम्बर 741 व 741/1 की भूमि को छोड़ते हुए नवीन रूप से अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप राजकीय भूमि में स्थित भूखण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार राशि जमा करवाते हुए पट्टा विलेख जारी करने एवं उक्त योजनाओं में अन्य समस्त कार्यवाही नियमानुसार किये जाने की अनुशंसा की गई है।



समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में गैर मुमकिन बाला की भूमि (खसरा नम्बर 741) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के पश्चात् एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार से पुनः नवीन मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त की जावे। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर प्रस्तुत योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 746 की भूमि पर विकसित "गोपीकृष्ण-विहार" आवासीय योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र में संशोधन।  
प्रकरण संख्या 28/2012

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 746 की भूमि पर विकसित गोपीकृष्ण विहार आवासीय योजना बनाई जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ नियमन की कार्यवाही तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा की गई हैं। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि का क्षेत्रफल 29 बीघा 16 बिस्वा अंकित हैं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में पूर्व में डोली में अंकित रही थी, परन्तु राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय एवं राजस्व विभाग के आदेशों के उक्त भूमि को खातेदारी भूमि माना जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिसमें उक्त आराजियात की भूमि का कुल क्षेत्रफल 29 बीघा 16 बिस्वा अंकित हैं एवं उतनी ही भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। उक्त आराजियात की भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदित किया जाकर तत्कालीन नगर विकास न्यास/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त आराजियात की भूमि का क्षेत्रफल 29 बीघा 16 बिस्वा मानते हुए ही भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही की गई हैं। उक्त योजना में खसरा नम्बर 741 व 741/1 की सरकारी भूमि समीपीय भूमि होने के आधार पर सम्मिलित हैं, जिसका रकबा लगभग 6 बीघा हैं।

उक्त योजना में स्थित कुल 214 भूखण्डों में से 191 भूखण्डों के पट्टा विलेख तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा सम्पादित किये जा चुके हैं। उक्त योजना में 53 भूखण्ड राजकीय भूमि में स्थित हैं, जिनमें से 39 भूखण्डों के पट्टा विलेख तत्कालीन न्यास/प्राधिकरण द्वारा जारी किये जा चुके हैं एवं 14 भूखण्ड जो कि राजकीय भूमि में स्थित हैं, के पट्टा विलेख जारी किये जाने शेष हैं। इस प्रकार उक्त योजना में 23 भूखण्डों के आवासीय पट्टा विलेख एवं 11 भूखण्डों के वाणिज्यिक पट्टा विलेख जारी किये जाने शेष हैं।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक उपायुक्त पश्चिम/2011/1044, दिनांक 5 जनवरी, 2011 द्वारा राज्य सरकार से दिशा-निर्देश चाहे जाने पर उप शासन सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय पत्रांक प.3(1157)नविवि/3/2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं :-

"गोपीकृष्ण विहार योजना में सम्मिलित राजकीय भूमि/रास्ता, पगडंडी/गैर मुमकिन बाला की भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार बिन्दु संख्या 13 के खण्ड-V के



प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए योजना में स्थित राजकीय भूमि की कीमत राशि आरक्षित दर या डी. एल.सी. दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर ऐसी राजकीय भूमि का नियमन किया जावे। चूकिं गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्व अभिलेख व मौके पर अब अस्तित्व में नहीं हैं तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी है। इस कारण इस क्षेत्र में पानी के बहाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्यत्र पक्के नाले का निर्माण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस योजना के सम्बन्ध में न्यायालय में लम्बित प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के निर्णयाधीन कार्यवाही की जावे तथा इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से नवीनतम स्थिति प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे। यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में सह खातेदारों के मध्य कोई विवाद हो, तो उक्त विवाद के निस्तारण उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।”

सम्बन्धित अमीन द्वारा पुनः सीमांकन करवा दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा पृथक-पृथक रूप में खातेदारी भूमि, राजकीय भूमि, वन विभाग की भूमि व अन्य खातेदारी भूमि का अंकन किया गया है। अमीन द्वारा किये गये सीमांकन के अनुसार उक्त योजना में 6417.89 वर्गमीटर राजकीय भूमि एवं 2477.44 वर्गमीटर अन्य खातेदार की भूमि स्थित है।

उक्त योजना में स्थित गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्व अभिलेख व मौके पर अस्तित्व में नहीं तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि की पश्चिम दिशा में वृन्दावन विहार आवासीय योजना की भूमि से चिपते हुए नाले का निर्माण किया गया है। उक्त नाले के सम्बन्ध में जोन के पटवारी, अमीन व कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार भी मौके पर नाला अस्तित्व में नहीं है एवं अन्यत्र पक्के नाले का निर्माण कर दिया गया है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 30 जुलाई, 2012 के प्रस्ताव संख्या 11 में राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 की भूमि पर “वृन्दावन-विहार” नामक आवासीय योजना व राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 746 की भूमि पर “गोपीकृष्ण विहार” नामक आवासीय योजना की भूमियों के सम्बन्ध में तथ्यों तथा कानूनी स्थिति की गहनता से जाँच करने हेतु एवं समुचित निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा उक्त आवासीय योजनाओं में अवस्थित वन विभाग व खसरा नम्बर 741 व 741/1 की भूमि को छोड़ते हुए नवीन रूप से अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप राजकीय भूमि में स्थित भूखण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार राशि जमा करवाते हुए पट्टा विलेख जारी करने एवं उक्त योजनाओं में अन्य समस्त कार्यवाही नियमानुसार किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में गैर मुमकिन बाला की भूमि (खसरा नम्बर 741 व 741/1) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के पश्चात् एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार से पुनः नवीन मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त की जावे। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर प्रस्तुत योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए योजना में स्थित राजकीय भूमि की कीमत राशि आरक्षित दर या डी. एल.सी. दर जो भी अधिक हो वसूल की जाकर ऐसी राजकीय भूमि का नियमन किया जावे। चूकिं गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्व अभिलेख व मौके पर अब अस्तित्व में नहीं हैं तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी है। इस कारण इस क्षेत्र में पानी के बहाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्यत्र पक्के नाले का निर्माण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इस योजना के सम्बन्ध में न्यायालय में लम्बित प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के निर्णयाधीन कार्यवाही की जावे तथा इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से नवीनतम स्थिति प्राप्त की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जावे। यदि उक्त भूमि के सम्बन्ध में सह खातेदारों के मध्य कोई विवाद हो, तो उक्त विवाद के निस्तारण उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।”

सम्बन्धित अमीन द्वारा पुनः सीमांकन करवा दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा पृथक-पृथक रूप में खातेदारी भूमि, राजकीय भूमि, वन विभाग की भूमि व अन्य खातेदारी भूमि का अंकन किया गया है। अमीन द्वारा किये गये सीमांकन के अनुसार उक्त योजना में 6417.89 वर्गमीटर राजकीय भूमि एवं 2477.44 वर्गमीटर अन्य खातेदार की भूमि स्थित है।

उक्त योजना में स्थित गैर मुमकिन बाला की भूमि राजस्व अभिलेख व मौके पर अस्तित्व में नहीं तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज हो चुकी है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि की पश्चिम दिशा में वृन्दावन विहार आवासीय योजना की भूमि से चिपते हुए नाले का निर्माण किया गया है। उक्त नाले के सम्बन्ध में जोन के पटवारी, अमीन व कनिष्ठ अभियन्ता की संयुक्त रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है, जिसके अनुसार भी मौके पर नाला अस्तित्व में नहीं है एवं अन्यत्र पक्के नाले का निर्माण कर दिया गया है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक, दिनांक 30 जुलाई, 2012 के प्रस्ताव संख्या 11 में राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 700/2, 700/3, 701, 702, 703, 704, 706, 708, 709, 710 व 711 की भूमि पर “वृन्दावन-विहार” नामक आवासीय योजना व राजस्व ग्राम गेंवा के खसरा नम्बर 746 की भूमि पर “गोपीकृष्ण विहार” नामक आवासीय योजना की भूमियों के सम्बन्ध में तथ्यों तथा कानूनी स्थिति की गहनता से जाँच करने हेतु एवं समुचित निर्णय लेने हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा उक्त आवासीय योजनाओं में अवस्थित वन विभाग व खसरा नम्बर 741 व 741/1 की भूमि को छोड़ते हुए नवीन रूप से अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप राजकीय भूमि में स्थित भूखण्डों के क्षेत्रफल के अनुसार राशि जमा करवाते हुए पट्टा विलेख जारी करने एवं उक्त योजनाओं में अन्य समस्त कार्यवाही नियमानुसार किये जाने की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया। आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में गैर मुमकिन बाला की भूमि (खसरा नम्बर 741 व 741/1) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के पश्चात् एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार से पुनः नवीन मार्गदर्शन/स्वीकृति प्राप्त की जावे। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने की शर्त पर प्रस्तुत योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 की रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 2 -  
बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- श्री ओमसिंह वगैरह।  
प्रकरण संख्या :- 47/2011

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 की रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त योजना में से होकर 132 की.मी. का उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 03.08.2011 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर, तकनीकीविद् के हस्ताक्षर, सपथ पत्र, उपयुक्त की भोका रिपोर्ट, हाईटेन्शन लाईन की क्षमता इत्यादि तथा स्थानीय भूमियों के खसरों का मानचित्र व इनमें किये गये बेचान का विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जौन के अधीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुमति नहीं की गई है।

सम्बन्धित उपयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की तरमीम की कार्यवाही नहीं हुई है। भूमि के सहखातेदार भी हैं। इसी खसरे में भूमिवाजी नगर स्थित है, जिसमें कृषि मूखण्ड काटे गये हैं। विधिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाचित में नहीं है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं समिति के पूर्व निर्णय की धारणा किए जाने के उपरान्त प्रकरण समिति के सम्मक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपयुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय सम्बन्ध प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि -  
का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- मैसर्स वीतराम बिल्डकॉन जरिदे पृथ्वीराज गुलेचका  
प्रकरण संख्या :- 24/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उपरान्त भूमि जोधपुर-जेसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में जाने वाले रास्ते के दक्षिण में रास्ते पर स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जौन के अधीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुमति नहीं की गई है।

92

5. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 की रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :- श्री ओमसिंह वगैराह।  
 प्रकरण संख्या :- 47/2011

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 की रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त योजना में से होकर 132 के.पी. का उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2011 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर, तकनीकीविद् के हस्ताक्षर, शपथ पत्र, उपायुक्त की मौका रिपोर्ट, हाईटेन्शन लाईन की क्षमता इत्यादि तथा समीपीय भूमियों के खसरा का मानचित्र व इनमें किये गये बेचान का विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा नहीं की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की तरमीम की कार्यवाही नहीं हुई है। भूमि के सहखातेदार भी हैं। इसी खसरे में भोमियाजी नगर स्थित है, जिसमें कृषि भूखण्ड काटे गये हैं। विधिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवापि में नहीं है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं समिति के पूर्व निर्णय की पालना किए जाने के उपरान्त प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :- मैसर्स वीतराग बिल्डकॉन जरिये पृथ्वीराज गुलेच्छा  
 प्रकरण संख्या :- 24/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रथमतः भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में जाने वाले रास्ते के दक्षिण में रास्ते पर स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

92

5. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 की रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :- श्री ओमसिंह वगैराह।  
 प्रकरण संख्या :- 47/2011

राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 की रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त योजना में से होकर 132 कं.टी. का उच्च क्षमता की विद्युत लाईन गुजर रही है। उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.08.2011 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा समस्त खातेदारों के हस्ताक्षर, तकनीकीविद् के हस्ताक्षर, शपथ पत्र, उपायुक्त की मौका रिपोर्ट, हाईटेन्शन लाईन की क्षमता इत्यादि तथा समीपीय भूमियों के खसरों का मानचित्र व इनमें किये गये बेघान का विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा नहीं की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि की तरमीम की कार्यवाही नहीं हुई है। भूमि के सहखातेदार भी हैं। इसी खसरे में भोमियाजी नगर स्थित है, जिसमें कृषि भूखण्ड काटे गये हैं। विधिक दृष्टि से कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में नहीं है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे एवं समिति के पूर्व निर्णय की पालना किए जाने के उपरान्त प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
 आवेदक :- मैसर्स वीतराग बिल्डकॉन जरिये पृथ्वीराज गुलेछा  
 प्रकरण संख्या :- 24/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रथमतः भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में जाने वाले रास्ते के दक्षिण में रास्ते पर स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

92

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।


समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि तक 40' चौड़े पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण समिति के समक्ष रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 75, 75/2, 954/75 व 959/75 की रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
प्रकरण संख्या :- दिनांक 17.6.1999 से पूर्व का प्रकरण

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 75, 75/2, 954/75 व 959/75 की रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का प्रकरण है, जिसमें बिक्री योग्य क्षेत्रफल 71.01 प्रतिशत है। दिनांक 28.05.2012 को आयोजित जोनल स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में उक्त योजना का क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर ले-आऊट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(294)नविवि/3/2011, दिनांक 30 जुलाई, 2012 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बनी आवासीय कोलोनी में क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-1, दिनांक 20.05.2011 द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(90)नविवि/3/2012, दिनांक 21.06.2012 में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों के लिये निर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है।

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना में अधिकांशतः मकानात् बन चुके हैं एवं मौके पर सड़क प्रतिरूप विकसित हो चुका है। प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त योजना का मौका निरीक्षण कर उक्त योजना में विकसित सड़को का आपसी लिंक व मौके पर सड़को की चौड़ाई के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।



सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर आवेदित भूमि तक 40' चौड़े पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण समिति के समक्ष रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 75, 75/2, 954/75 व 959/75 की रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
प्रकरण संख्या :- दिनांक 17.6.1999 से पूर्व का प्रकरण

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 75, 75/2, 954/75 व 959/75 की रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में जोन स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 17.06.1999 से पूर्व का प्रकरण है, जिसमें बिक्री योग्य क्षेत्रफल 71.01 प्रतिशत है। दिनांक 28.05.2012 को आयोजित जोनल स्तरीय ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में उक्त योजना का क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने के कारण आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर ले-आऊट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(294)नविवि/3/2011, दिनांक 30 जुलाई, 2012 द्वारा निर्दिष्टित किया गया है कि दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर बनी आवासीय कोलोनी में क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक होने पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट-1, दिनांक 20.05.2011 द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुरूप कार्यवाही की जानी है। उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(90)नविवि/3/2012, दिनांक 21.06.2012 में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों के लिये निर्दिष्टित समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है।

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त योजना में अधिकांशतः मकानात् बन चुके हैं एवं मौके पर सड़क प्रतिरूप विकसित हो चुका है। प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित उपायुक्त योजना का मौका निरीक्षण कर उक्त योजना में विकसित सड़को का आपसी लिंक व मौके पर सड़को की चौड़ाई के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-


1. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 253/2, 253/3 की रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।  
आवेदक :- मधुकर प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड  
प्रकरण संख्या 80/10


उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 16.08.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि आवेदित भूमि को मात्र 30' चौड़ी सड़क से एप्रोच उपलब्ध होती है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 25.02.2009 के अनुसार उक्त आकार की भूमि के लिये न्यूनतम 40' चौड़ी एप्रोच सड़क की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदित भूमि के लिये पहुँच मार्ग बाबत् रिपोर्ट ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रार्थी के प्रतिनिधि ने बैठक में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी भूमि के चारो तरफ की भूमि के पट्टा विलेख जारी हो चुके हैं। समीपीय भूमियो से प्रश्नगत भूमि को मात्र 30' चौड़ी सड़क का पहुँच मार्ग ही उपलब्ध होता है, अतः ले-आऊट प्लान स्वीकृत किया जावे।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
निदेशक (आयोजना)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर।

  
आयुक्त  
जोधपुर विकास प्राधिकरण  
जोधपुर।